प्रेस- नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 20.05.2026

थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 800 ग्राम अवैध गाँजा के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा आज दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्त नाम पता संदीप पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी सिन्दुरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को बाबा की बगिया महुली से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 199/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम संदीप पुत्र सत्यनारायण यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- संदीप पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी सिंन्दुरिया, थाना महुली, जनपद संतकबीरनगर। (800 ग्राम अवैध गांजा)

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 800 ग्राम अवैध गांजा।

  गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- - उ0नि0 अजीत सिंह, हे0का0 शम्स तबरेज, हे0का0 नूरूद्दीन खान, हे0का0 आनन्द दूबे, का0 अनुज कुमार।

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता अब्दुल मजीद पुत्र ताज मुहम्मद निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, कोमल प्रसाद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 391 वाहनों से 4,02,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 20.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 391 वाहनों से 4,02,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 20.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनांक 30.11.2017 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त कुँवर पुत्र चन्द्रकेश निवासी जिगना थाना धनघटा जनपद संतकबीनगर के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री मनोज त्रिपाठी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 2552/2017 धारा 354ख,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को उक्त प्रकरण में अन्तर्गत धारा 354 ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 354 ख भा0द0वि0 के अपराध में 03 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।